(c) what steps Government propose to prevail upon other States to emulate such States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) Yes Sir. In his inaugural address to the Power Ministers' Conference held on 8th and 9th January, 1993, the Finance Minister had urged that the minimum tariff for supply of power to the agricultural sector should be fixed at 60 paise per unit. The Conference, however, decided that the minimum agricultural traiff may be levied at 50 paise per unit for the present, for implementation by all States by the end of March, 1993. So far, 10 States and one Union Territory have reportedly adopted the minimum agricultural traiff of 50 paise per unit while the remaining States have resolved to implement it as per an Action Plan, adopted in the above Conference.

गुजरात की विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन न किया जाना

157. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि गैस आपूर्ति प्राप्त करने और भूमि का अधिग्रहण करने में प्रक्रिया सम्बन्धी उलझनों तथा मशीनों के उपलब्ध न होने के कारण गुजरात की विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं की कमी के कारण कौन-कौन सी परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में फिजूलखर्ची की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू : (क) से (ङ) ईंधन सप्लाई और मशीनरी की उपलब्धता से सम्बन्धित समस्याओं के फलस्वरूप गुजरात की कुछेक विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है । भूमि अधिग्रहण के कारण, ऐसा बताया गया है कि किसी भी परियोजना में विलम्ब नहीं हुआ है । जिन परियोजनाओं के मामले में विलम्ब हुआ है उनमें कुछ लिग्नाइट विस्तार, सिक्का विस्तार चरण-दो, उत्राण संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (सी. सी.पी.पी.) तथा कवास, सी.सी.पी.पी. शामिल हैं ।

राज्य सरकार और विद्युत मंत्रालय इन परियोजनाओं के कार्य की सघन मानिटरिंग कर कर रहे हैं तथा कमियों को दूर करने के लिए अपेक्षित कदम उठा रहे हैं ।

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड का अनुसंधान एवं विकास सत्र

158. **श्री सोमपाल** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1992 में जयपुर में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड का चार दिवसीय अनुसंधान एवं विकास सत्र आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस सत्र में विद्युत उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और विद्युत आपूर्ति को सुप्रवाही बनाने के सम्बन्ध में क्या-क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) सरकार इन सुझावों का किस प्रकार से उपयोग करने का इरादा रखती है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है [**नीचे देखिए**]

(ग) सिंचाई तथा विद्युत संबंधी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सुझाए गए सुझावों/सिफारिशों पर संबंधित विद्युत यूटिलिटियों/संगठनों द्वारा समय-समय पर समुचित कार्यवाही की जाती है ।

विवरण

फरवरी, 92 में आयोजित केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड का अनुसंधान एवं विकास सत्र

विद्युत उत्पादन :

1. विद्युत केन्द्रों पर विद्युत प्रणाली स्टेबिलाइजरों के समुचित कार्यकरण को सरल बनाए जाने के लिए भेल को चाहिए कि वह इंजिनियरों को विद्युत प्रणाली स्टेबिलाइजरों (पी.एस.एस.) में प्रमुख विद्युत केन्द्रों पर प्रशिक्षण दे । इससे व्यवधान के दौरान प्रणाली में स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिलेगी ।

2. भेल द्वारा पुराने स्टेशनों में रिवर्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और अधिक कार्य किया जाना चाहिए । इसे बेहतर रनर सामग्री के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए ।

3. राज्य बिजली बोर्ड जल प्रबंधन के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली, जैसा कि केरल राज्य बिजली बोर्ड (के.एस.ई.बी.) द्वारा अपनाई गई है की उपयोगिता की भी जांच कर सकते हैं ।

4. विद्यमान जल विद्युत संयंत्रों को अद्यतन करने, उनका नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करने का कार्य शीघ्रता से किया जाना चाहिए ।

ऊर्जा संवर्धन

1. दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां पर विस्तारित ग्रिड सप्लाई लागत प्रतिशोधक है, भार पोषण हेतु सूर्य की चमक का समुपयोजन करने के लिए तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अध्ययन कार्य किए जाने की आवश्यकता है ।

विद्युत सप्लाई का निर्बाध रूप से प्रवाह :

1. ऐसे टावरों का पता लगाना जिन के ऊपर तड़ित चालन हुआ, पी.एस.ई.बी. तथा पंजाब इंजीनियरिंग कालेज द्वारा विकसित किए गए यंत्र का व्यावहारिक रूप से उपयोग किए जाने हेतु उसे और परिष्कृत किया जाना चाहिए ।

2. कण्डक्टरों के जोड़ों में होने वाली हानियों का पता लगाने तथा उसके लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना, इसके विस्तृत कार्य करने के लिए एक कृतक बल का गठन किया जाना चाहिए ।

3. सी. पी. आर. आई. द्वारा विकसित किए जा रहे 6 और अवमन्दकों (डेम्परों) की कार्यक्षेत्र में जांच की जानी चाहिये और इसके क्षेष्ठता स्थापित करने के लिए इसके परिणामों का विश्लेषण किया जाना चाहिए ।

4. आयाताकार आधार व टावरों को अपनाने से पहले और जांच तथा विश्लेषण किया जाना आवश्यक है ।

5. आगामी 800 के. वी. प्रणाली के लिए सी. पी. आर. आई. द्वारा प्रणाली संस्वर्ण हेतु परिकल्पित और अस्थायी नेटवर्क विश्लेषण (टी. एन. ए.) तथा आंकड़ा संबंधी अध्ययन कार्य आयोजित किए जाने चाहिये ।

6. समुचित सरल विश्लेषण के लिए देश में विद्युत प्रणाली की आयोजना तथा डिजाइन तयार करने के लिए विद्युत प्रणाली प्रचालन, अनुरक्षण, आयोजना तथा डिजाइन के क्षेत्र से सम्बद्ध इंजीनियरों का एक समूह बनाया जाना चाहिए जिससे कि विद्यमान विद्युत प्रणालियों के लिए एकत्रण की क्रिया-विधि, विश्लेषण तथा प्रचालन में डाटा बेस की कमी को व्यक्त किया जा सके ।

7. जब टेपों को बदलने का प्रयास किया जाता है तो ट्रांसफार्मरों में लगे आन लोड

कार के परिवर्तनों (ओ. एल. टी. सी.) का उपयोग नहीं किए जाने से ये उन ट्रांसफार्मरों को दोषपूर्ण बना देते हैं।

8. वोल्टेज को अस्थिरता से बचने के लिए स्वचालित प्रणाली का डिजाइन करते समय भार सम्प्रेषण केन्द्रों के लिये महत्वपूर्ण डाटा की टेलीमीटरी पूर्व अपेक्षित है। जब तक प्रेषण केन्द्रों का आधुनिकीकरण नहीं किया जाता है तब तक विद्युत उत्पादन में वोल्टता की अस्थिरता का सामना करने के लिए लोड शेडिंग तथा रि-शिड्यूलिंग का सहारा लिया जाता रहेगा।

9. सभी 132 के. वी. लाइनों तथा 132/एल.वी. ट्रांसफार्मरों में एम. वी. ए. आर. मीटर होने चाहियें क्योंकि प्रणाली संबंधी अध्ययन कार्यों हेतु इस समय वास्तविक प्रतिक्रियाशील विद्युत संबंधी आंकड़े प्राप्त करने में बधाएं आ रही हैं।

10. अधिक उतार-चढाव (ओवर-फ्लक्सिंग) वितरण ट्रांसफार्मरों के खराब होने का एक प्रमुख कारण है तथा इसके बारे में निर्माताओं से बातचीत की जानी चाहिये ताकि ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

11. ट्रांसफामरों में "लघुपथन" संबंधी जांच आवश्यक रूप से कराई जानी चाहिये।

12. पूर्णत: स्वत: सुरक्षित (सी. एस. पी.) ट्रांसफार्मरों पर समन्वय संबंधी जांच आवश्यक रूप से करवाया जाये।

13. सोलिड स्टेट एनर्जी मीटरों के लिए मानक के निर्धारण को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना बनाया जाए।

World Bank for new power projects

159. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the Minister of POWER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 225 given in the Rajya Sabha on the 24th November, 1992 and state whether Government have approached the World Bank for financing, New power projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): Discussions are being held with the World Bank for seeking financial assistance for NTPC under a time slice arrangement for its various projects and for the Power Grid Corporation of India for certain transmission lines. Since under this arrangement, there is flexibility in the list of projects for which financing could be utilised, project selection would,, inter alia, depend on the readiness in terms of availability of clearances etc.

Capacity utilisation in different power sectors

160. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what are the details of the capacity utilisation in different power sectors during the first half of the current financial year and how do these compare with the figures of corresponding period during the last two years; and

(b) what steps are being contemplated by Government to improve the capacity utilisation of power plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The details of capacity utilisation PLF of thermal and Nuclear Power Stations in the different power sectors during the period April-